**भारत सरकार**
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय**
**लोक सभा**

अतारांकित प्रश्न सं.: 260
उत्तर देने की तारीख: 22.07.2025

**अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना**

**260. श्री अरुण गोविल:**
**श्री आलोक शर्मा:**
**श्रीमती स्मिता उदय वाघ:**
**श्री योगेन्द्र चांदोलिया:**
**श्री भोजराज नाग:**
**श्री नव चरण माझी:**
**श्री महेश कश्यप:**
**श्री सुरेश कुमार कश्यप:**
**श्रीमती शोभनाबेन महेन्द्रसिंह बारैया:**
**श्री बिभु प्रसाद तराई:**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जाति (अ.जा.) के विद्यार्थियों के लिए केंद्रीय क्षेत्र की छात्रवृत्ति योजनाओं-जैसे मैट्रिकोतर छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी की शिक्षा छात्रवृत्ति योजना ने पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुसूचित जाति समुदायों के बीच शैक्षिक उपलब्धि में सुधार और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देने में किस प्रकार योगदान दिया है और विशेषकर शिमला लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित हिमाचल प्रदेश का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान उक्त योजनाओं से लाभान्वित हुए अनुसूचित जाति के छात्रों की राज्यवार तथा जिलेवार कुल संख्या कितनी है और विशेषकर महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्यवार आंकड़े क्या हैं;

(ग) अनुसूचित जाति के विशेषकर मध्य प्रदेश के भोपाल तथा सीहोर जिले के उन लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने उक्त योजनाओं की सहायता से प्रमुख संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है या महत्वपूर्ण शैक्षणिक या व्यावसायिक उपलब्धियाँ हासिल की हैं और साथ ही उन संस्थानों के नाम और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार द्वारा उक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत अधिकतम नामांकन और लाभ सुनिश्चित करने के लिए महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े जिलों, विशेषकर जलगांव में, कोई विशेष आउटरीच या जागरूकता पहल की गई हैं अथवा किए जाने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**
**सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री**
**(श्री रामदास आठवले)**

**(क) और (ख):** अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (पीएमएस) और टॉप क्लास शिक्षा योजनाओं के माध्यम से प्रदान की गई वित्तीय सहायता और छात्रवृत्ति ने देश के शैक्षणिक संस्थानों/कॉलेजों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति के छात्रों के शैक्षिक मानक को बेहतर बनाने में योगदान दिया है। इससे न केवल वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिली है, बल्कि अनुसूचित जाति के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने में भी मदद मिली है। शैक्षिक अवसरों में सुधार करके, इन योजनाओं ने सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को काफी बढ़ावा दिया है, करियर की संभावनाओं को बढ़ाया है और अनुसूचित जाति समुदायों के बीच आर्थिक और सामाजिक दोनों प्रकार के पिछड़ेपन को दूर किया है।

पिछले पांच वर्षों में, 2,22,31,139 और 20,340 अनुसूचित जाति के छात्र क्रमशः पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और टॉप क्लास शिक्षा योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं।

पिछले पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश सहित राज्यवार लाभार्थियों की संख्या और महाराष्ट्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में जिलावार लाभार्थियों की संख्या के साथ-साथ पिछले चार वर्षों के दौरान जलगांव और शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लाभार्थियों की संख्या (योजना वर्ष 2021-22 से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर शुरू की गई थी) पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस) के अंतर्गत क्रमशः संलग्नक - I और II में दी गई है।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए टॉप क्लास शिक्षा योजना (टीसीएस) के लिए राज्य/जिला/निर्वाचन क्षेत्रवार डेटा नहीं रखा जाता है।

**(ग):** इन योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एम्स, एनआईटी, एनआईएफटी, एनआईडी, आईएचएम, एनएलयू आदि सहित कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और संस्थानों में उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उन्होंने अपने-अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

**(घ):** देश भर में योजनाओं के बारे में व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए, मंत्रालय ने विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देना, सोशल मीडिया पर अभियान चलाना, वेबसाइट पर योजना के दिशानिर्देशों का विवरण अपलोड करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करना और योजना को लोकप्रिय बनाने के लिए टॉप क्लास के संस्थानों को सूचीबद्ध करना।

**संलग्नक-I**

**यह संलग्नक लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या- 260 के भाग (क) और (ख) के संदर्भ में है, जिसका उत्तर 22/07/2025 को "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना" के संबंध में दिया जाना है।**

**पिछले पांच वर्षों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (पीएमएस-एससी) के अंतर्गत राज्यवार लाभार्थी**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4,09,678 | 2,43,823 | 2,38,915 | 1,95,269 | 3,03,298 |
| 2 | असम | 7,942 | 0 | 11,140 | 8,426 | 12,073 |
| 3 | बिहार | 78,181 | 0 | 1,36,340 | 68,975 | 73,615 |
| 4 | चंडीगढ़ | 1,128 | 899 | 876 | 287 | 1,253 |
| 5 | छत्तीसगढ | 1,01,987 | 87,464 | 96,267 | 79,237 | 87,675 |
| 6 | दमन और दीव | 142 | 0 | 98 | 0 | 0 |
| 7 | दिल्ली | 20,709 | 0 | 7,531 | 3,160 | 4,692 |
| 8 | गोवा | 66 | 0 | 1 | 34 | 58 |
| 9 | गुजरात | 1,45,413 | 97,697 | 1,13,531 | 1,79,116 | 1,57,584 |
| 10 | हरियाणा | 68,183 | 0 | 87,913 | 70,464 | 55,444 |
| 11 | हिमाचल प्रदेश | 16,445 | 0 | 21,502 | 23,959 | 33,149 |
| 12 | जम्मू एवं कश्मीर | 9,856 | 100 | 10,097 | 7,370 | 6,567 |
| 13 | झारखंड | 30,608 | 7,805 | 33,922 | 44,610 | 57,784 |
| 14 | कर्नाटक | 3,18,389 | 1,31,448 | 4,58,548 | 4,03,965 | 4,04,008 |
| 14 | केरल | 1,25,898 | 90,866 | 42,521 | 1,55,319 | 1,47,531 |
| 16 | मध्य प्रदेश | 4,75,993 | 48,270 | 4,45,319 | 3,46,289 | 6,36,303 |
| 17 | महाराष्ट्र | 3,91,778 | 68,576 | 1,48,573 | 7,49,317 | 3,62,808 |
| 18 | मणिपुर | 6,096 | 0 | 8,988 | 2,125 | 7,938 |
| | मेघालय | 0 | 0 | | 0 | 25 |
| 19 | ओडिशा | 1,73,264 | 75,530 | 2,99,369 | 1,43,861 | 1,91,873 |
| 20 | पुदुचेरी | 4,303 | 0 | 3,904 | 2,564 | 2,694 |
| 21 | पंजाब | 1,76,482 | 1,52,157 | 40,708 | 1,99,508 | 2,94,284 |
| 22 | राजस्थान | 3,65,604 | 2,17,176 | 3,03,252 | 1,51,922 | 2,29,002 |
| 23 | सिक्किम | 351 | 0 | 448 | 216 | 172 |
| 24 | तमिलनाडु | 6,54,131 | 4,41,672 | 5,43,772 | 6,43,761 | 9,34,793 |
| 25 | तेलंगाना | 2,23,613 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | त्रिपुरा | 14,721 | 0 | 22,278 | 16,858 | 19,849 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 8,02,648 | 8,68,554 | 12,69,634 | 9,49,934 | 6,44,827 |
| 28 | उत्तराखंड | 30,530 | 0 | 27,735 | 23,804 | 26,216 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 3,61,943 | 4,93,099 | 2,73,953 | 2,68,228 | 1,08,693 |
| | **कुल** | **50,16,082** | **30,25,136** | **46,47,135** | **47,38,578** | **48,04,208** |

यह संलग्नक लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या- 260 के भाग (क) और (ख) के संदर्भ में है, जिसका उत्तर 22/07/2025 को "अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना" के संबंध में दिया जाना है।

**महाराष्ट्र राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की जिलावार संख्या**

**(i) महाराष्ट्र राज्य**

| जिले का नाम | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| अहमदनगर | 16,120 | 17,081 | 15,905 | 12,450 |
| अकोला | 15,428 | 15,107 | 11,985 | 9,510 |
| अमरावती | 18,562 | 18,143 | 14,564 | 11,707 |
| औरंगाबाद | 23,373 | 23,392 | 20,112 | 18,007 |
| बीड | 11,755 | 12,415 | 10,457 | 8,670 |
| भंडारा | 9,815 | 9,831 | 8,422 | 6,644 |
| बुलढाना | 14,323 | 14,536 | 12,973 | 10,161 |
| चंद्रपुर | 15,454 | 15,312 | 12,351 | 10,607 |
| धुले | 2,775 | 2,826 | 2,660 | 1,858 |
| गडचिरोली | 3,419 | 3,710 | 3,116 | 2,719 |
| गोंडिया | 7,085 | 7,243 | 6,330 | 5,074 |
| हिंगोली | 6,480 | 7,145 | 6,026 | 5,072 |
| जलगांव | 7,518 | 7,642 | 6,815 | 5,590 |
| जालना | 7,904 | 8,122 | 7,767 | 6,528 |
| कोल्हापुर | 13,080 | 13,536 | 11,855 | 10,632 |
| लातूर | 11,797 | 12,880 | 10,943 | 9,537 |
| मुंबई | 2,739 | 2,892 | 2,338 | 1,876 |
| मुंबई (उपनगरीय) | 6,228 | 6,101 | 4,832 | 4,293 |
| नागपुर | 36,230 | 37,243 | 30,997 | 25,772 |
| नांदेड़ | 22,370 | 22,803 | 18,173 | 15,693 |
| नंदुरबार | 1,301 | 1,361 | 1,486 | 1,167 |
| नासिक | 17,340 | 17,460 | 16,015 | 13,591 |
| उस्मानाबाद | 6,784 | 6,774 | 5,397 | 5,121 |
| पालघर | 1,740 | 1,719 | 1,356 | 1,109 |
| परभणी | 9,427 | 9,659 | 8,040 | 6,279 |
| पुणे | 23,494 | 24,340 | 21,895 | 20,041 |
| रायगढ़ | 2,841 | 2,911 | 2,424 | 2,075 |
| रत्नागिरि | 2,202 | 2,237 | 1,802 | 1,337 |
| सांगली | 7,718 | 7,886 | 7,023 | 5,897 |
| सतारा | 8,629 | 8,498 | 7,273 | 6,299 |
| सिंधुदुर्ग | 1,023 | 1,059 | 955 | 774 |
| सोलापुर | 14,371 | 14,008 | 12,160 | 10,717 |
| ठाणे | 12,858 | 13,188 | 10,314 | 9,690 |
| वर्धा | 9,460 | 9,645 | 7,781 | 6,281 |
| वाशिम | 7,188 | 7,900 | 5,923 | 5,188 |
| यवतमाल | 10,559 | 10,491 | 8,687 | 7,341 |
| **कुल** | **3,89,390** | **3,97,096** | **3,37,152** | **2,85,307** |

(ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

| जिले का नाम | 2021-22 | 2022-23 | शैक्षणिक वर्ष 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| मध्य | 417 | 298 | 301 | 0 |
| पूर्व | 276 | 208 | 266 | 0 |
| नई दिल्ली | 102 | 95 | 96 | 0 |
| उत्तर | 750 | 668 | 508 | 0 |
| उत्तर पूर्व | 255 | 219 | 256 | 0 |
| उत्तर पश्चिम | 1,022 | 1,226 | 984 | 0 |
| शाहदरा | 631 | 496 | 440 | 0 |
| दक्षिण | 200 | 193 | 188 | 0 |
| दक्षिण पूर्व | 278 | 276 | 238 | 0 |
| दक्षिण पश्चिम | 920 | 801 | 750 | 0 |
| पश्चिम | 615 | 541 | 504 | 0 |
| **कुल** | **5,466** | **5,021** | **4,531** | **0** |

**शिमला और जलगाँव निर्वाचन क्षेत्रों में पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या**

| निर्वाचन क्षेत्र का नाम | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 |
|---|---|---|---|---|
| शिमला | 2,734 | 2,626 | 2,546 | 2,780 |
| जलगांव | 7,518 | 7,642 | 6,815 | 5,590 |

*****